स्लोगन एवं पोस्टर प्रतियोगिता का आयोजन

भीलवाड़ा। सेठ मुरलीधर मानसिंहका राजकीय कन्या महाविद्यालय में शुक्रवार को निर्वाचन साक्षरता क्लब के तत्वाधान में प्राचार्य डॉ. सावन कुमार जांगिड़ की अध्यक्षता में स्लोगन एवं पोस्टर प्रतियोगिता का आयोजन किया गया।

ईएलसी नोडल अधिकारी डॉ, शोभा गौतम ने बताया कि पोस्टर प्रतियोगिता में 45 छात्राओं ने तथा स्लोगन प्रतियोगिता में 20 छात्राओं ने भाग लिया। स्लोगन प्रतियोगिता में प्रथम स्थान पर वंशिका सेन, दूसरे स्थान पर राजनंदनी योगी तथा तीसरे स्थान पर नेहा खटीक तथा खुशी खटीक रही।

पोस्टर प्रतियोगिता में प्रथम अंतिम सेन एवं अर्पिता विजयवर्गीय द्वितीय चंचल प्रजापत एवं सोनिया माली तथा तृतीय स्थान पर प्रियांशी भट्ट एवं कोमल तेली रही। कार्यक्रम का संचालन रीना सालोदिया ने किया तथा धन्यवाद ज्ञापन अंजलि अठावाल द्वारा दिया गया। डॉ. अनिल कुमार सुराणा ने छात्राओं को मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए प्रेरित किया गया। इस अवसर पर डॉ. सरोज मेहता, इंदु बाला पटवारी, प्रतिभा राव तथा सभी संकाय सदस्य उपस्थित रहे।

धर्म संसद में आने वाले संतों व अतिथियों का धर्मप्रेमी करेंगें विशेष स्वागत सत्कार

सदगुरू बाबा ईसरदास साहिब जी की पुण्यमयी शताब्दी निर्वाण महोत्सव के अवसर पर होगा कार्यक्रम

अजमेर, (कासं)। ईश्वर मनोहर उदासीन आश्रम में सदगुरू बाबा ईसरदास साहिब जी की पुण्यमयी शताब्दी निर्वाण महोत्सव के अवसर पर विशाल श्री राम कथा व धर्म संसद 7 जनवरी से 13 जनवरी 2025 तक आयोजित होने वाले धार्मिक कार्यक्रम व धर्म संसद में आने वाले संतो व अतिथियों का धर्मप्रेमी मातृशक्ति व युवा विशेष स्वागत सत्कार करेगें। आश्रम में आयोजित बैठक में महन्त स्वरूपदास उदासीन ने आर्शीवचन देते हुये कहा कि हमें वाणी में मिठास रखनी है और आयोजन में हमारी पोषाक भी मर्यादित होनी चाहिये। मधुर व्यवहार से आने वाले अतिथियों की सेवा सत्कार कर पुण्यलाभ प्राप्त करें।

श्रीराम विश्वधाम के महन्त अर्जुनदास ने कहा कि हम सभी सौभाग्यशाली हैं कि महामण्डलेश्वर हंसराम उदासीन के आर्शीवाद से हमें यह सेवा का अवसर मिला है और सभी मिलकर इस आयोजन को सफल बनाने में सहभागी बने। कवंलप्रकाश किशनानी ने कहा कि समाज के सभी सामाजिक संगठनों को अलग अलग जिम्मेदारी मिली है कि हम अपने साथ सभी कार्यकर्ताओं को जोडते हुये अपने दायित्व का निर्वहन करें और इस पवित्र यज्ञ में अपनी आहूति देकर सेवा करें। नरेन शाहणी भगत ने कहा कि अजमेर में हमें ऐसे निरन्तर आयोजन में भागीदारी का अवसर मिल रहा है अखिल भारतीय संत समाज के सम्मेलन, महाराजा दाहरसेन स्मारक पर कार्यक्रम के साथ सभी कार्यक्रमों में सभी की सहभागिता रही है। बैठक की शुरूआत में गौतम सांई ने सभी का स्वागत व मोहन लालवाणी ने आभार प्रकट किया।

ईसरदास साहिब जी की पुण्यमयी शताब्दी निर्वाण महोत्सव पर धर्म संसद 7 जनवरी से होगी।

महिला समूह सदस्यों का प्रशिक्षण

ब्यावर, (निसं) दक्ष एम्पावर एबिलिटी फाउण्डेशन द्वारा ठाामीण क्षैत्र की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए स्वयं सहायता समूह में जोड़कर विभिन्न मुद्दों पर निरन्तर प्रशिक्षित किया जा रहा है। संस्था निदेशक राकेश कुमार कौशिक के सानिध्य में दक्ष एम्पायर एबिलिटी फाउण्डेशन द्वारा गाँव रामसर बलाइन में समूह के पदाधिकारियों का क्षमतावर्धन प्रशिक्षण दिया गया जिसमे समूह सदस्यों को आजीविका विस्तार के लिए मासिक बैठक, बचत और उसका सही प्रकार से लेन देन करना और बैंक से लिये गए ऋण को योजना बनाकर आजीविका बढ़ाने के लिए उपयोग पर विस्तार से चर्चा की गई।कार्यकर्ता धर्मीचंद ने सामाजिक सुरक्षा योजनाओ की जानकारी दी जिसमे पेंशन, पालनहार पर विस्तार से जानकारी दी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता ने सेंटर के माध्यम से दी जाने वाली सेवाओं के बारे मे जानकारी दी। कार्यक्रम में आंगन वाड़ी कार्यकर्ता तीजी देवी, सहायिका सीमा देवी, व समुह से जुड़ी 25 महिला उपस्थित रही। इस दौरान टाटा इस्टीट्यियूट से सामाजिक क्षेत्र की पढ़ाई करने वाले व फील्ड कार्य के संस्था में छात्र रोशन, समा व भूमिका संस्था कार्यकर्ता तुलसी कुमारी, धर्मीचंद आदि उपस्थित रहे।

परिवहन विभाग ओवरलोड वाहनों का करेगा पंजीयन निरस्त

ब्यावर (निसं) जिला क्षेत्र में खनिज परिवहन में संचालित वाहनो में निर्धारित क्षमता से अधिक माल परिवहन किए जाने पर जिला परिवहन कार्यालय की ओर से सख्ती से कार्यवाही की जाएगी। ऐसे वाहनो पर जुर्माना सहित वाहनो का पंजीयन निरस्त किए जाने जैसी कार्यवाही की जाएगी जिससें अवैध एवं ओवरलोड परिवहन पर रोक लगाई जा सके। ऐसे वाहनो की ई रवन्ना की सूचना खान एवं भू विज्ञान विभाग द्वारा परिवहन विभाग को उपलब्ध करवाई जाती है।

विभाग द्वारा ऐसे वाहनो की जांच कर मोटर वाहन अधिनियम धारा 113 कर उल्लंघन पाए जाने पर जुर्माना लगाया जाता है। साथ ही क्षमता से अधिक ओवरलोड़ माल परिवहन करने वाले वाहनो के विरूद्ध सख्ती दिखाई जाएगी तथा मोटर वाहन अधिनियम की धारा 55 (1) (9) के तहत वाहनों का पंजीयन प्रमाण निरस्त किए जाने की कार्यवाही की जा रही है। विभाग द्वारा खान एवं भू विज्ञान विभाग द्वारा उपलब्ध सूचना के आधार पर 119 वाहनो को इस संबंध में अपना पक्ष प्रस्तुत करने के लिए नोटिस जारी किया गया है। बार-बार माल ओवरलोड परिवहन करने से सड़क दुर्घटनाओं की संभावना बनी रहती है।

NAME CHANGE

I, No.14677859M Rank HAV, Name: AMAR BAHADUR VERMA Residing at Vill:-KHANDSA, Post:- BATHUA,Tehsil:- BHITI, Distt-AMBEDKAR NAGAR, State:-U.P,Pin:-224132 have changed my Mother's name from INDRAVATI to INDRAWATI vide affidavit BW 942440 Dated 22/11/2024 before Court campas Nasirabad

NAME CHANGE

I, No.14677859M Rank HAV, Name: AMAR BAHADUR VERMA Residing at Vill:-KHANDSA, Post:- BATHUA,Tehsil:- BHITI, Distt-AMBEDKAR NAGAR, State:-U.P,Pin:-224132 have changed my Father's name from THAKUR PRASAD VERMA to THAKUR PRASAD vide affidavit BW 942439 Dated 22/11/2024 before Court campas Nasirabad

सार-समाचार

मंत्री ने सीएम योगी को दिया आमंत्रण

अजमेर/पुष्कर, (कासं)। राजस्थान के जल संसाधन मंत्री एवं तीर्थराज पुष्कर के विधायक सुरेश सिंह रावत ने दो दिवसीय उत्तर प्रदेश यात्रा के दौरान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से शिष्टाचार भेंट कर उन्हें तीर्थराज पुष्कर यात्रा के लिए आमंत्रित किया है। राजस्थान और उत्तर प्रदेश के मध्य जल संसाधनों की सहभागिता और कार्य योजना के संदर्भ में सुरेश रावत ने योगी आदित्यनाथ से संवाद किया। योगी ने राजस्थान में भाजपा सरकार द्वारा जल उपलब्धता की दिशा में एक वर्ष में किए गए अभूतपूर्व निर्णयों की सराहना की और इसे ऐतिहासिक बताया। साथ ही उन्होंने योगी को पुष्कर में बनाए जा रहे ब्रह्म कॉरिडोर एवं विकास कार्यों की कार्ययोजना के संदर्भ में भी विस्तृत जानकारी दी। सुरेश सिंह रावत को योगी ने गणपति जी की प्रतिमा भेंट की। उत्तर प्रदेश के अतिथि के रूप में आतिथ्य सेवा प्रदान करने के लिए सुरेश सिंह रावत ने योगी एवं उत्तर प्रदेश सरकार के प्रति आभार व्यक्त किया।

''संविधान दिवस'' 26 नवम्बर को

भीलवाड़ा। संविधान दिवस 26 नवम्बर, मंगलवार को राष्ट्रीय स्तर पर हर्षोल्लास के साथ मनाया जायेगा। संविधान दिवस को समस्त राजकीय, निजी माध्यमिक, उच्च माध्यमिक स्तर के विद्यालयों में नामांकित विद्यार्थियों व भावी मतदाताओं को स्वीप के अन्तर्गत उनके संवैधानिक वोट देने के अधिकार के बारे में जागरूक किया जायेगा। उप जिला निर्वाचन अधिकारी ओमप्रकाश मेहरा ने बताया कि 26 नवम्बर को समस्त राजकीय, निजी माध्यमिक व उच्च माध्यमिक स्तर के विद्यालयों में प्रार्थना सभा के दौरान विद्यार्थियों को भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा निर्धारित शपथ दिलाई जायेगी एवं भावी मतदाताओं को उनके वोट के संवैधानिक अधिकार, वोट के महत्व एवं नैतिक मतदान के बारे में जागरूक किया जायेगा।

शिविर में 11 रोगियों को सलाह दी

भीलवाड़ा। श्री गणेश उत्सव प्रबंध एवं सेवा समिति के तत्वाधान आरसी व्यास कॉलोनी स्थित अपनाघर वृद्ध आश्रम में माह के दो दिन पांच व 20 तारीख को निशुल्क दंत रोग चिकित्सा शिविर लगाकर रोगियों को निशुल्क परामर्श दिया जाएगा। मीडिया प्रभारी महावीर समदानी में जानकारी देते हुए बताया कि दंत रोग चिकित्सक डॉक्टर रोहित बेसेर द्वारा आज 11 दंत रोगियों को निशुल्क परामर्श दिया दंत रोगियों के लिए हर माह की पांच व 20 तारीख को प्रातः 10 बजे से 12 बजे तक दन्तरोग संबंधी रोगियों को निशुल्क सेवाएं दी जाएगी।

संस्कार निर्माण के कार्य करने पर जोर

अजमेर, (कासं)। लायन्स क्लब अजमेर पृथ्वीराज द्वारा संभाग 2 की क्षेत्र तृतीय की क्षेत्रीय अध्यक्ष लायन राजकुमारी पांडे की अधिकारिक यात्रा बजरंगगढ़ चौराहा स्थित जयपुर जंगल रेस्टोरेंट में संपन्न कराई गई।

डिस्ट्रिक मीडिया कॉर्डिनेटर एमजेएफ लायन राजेंद्र गांधी ने बताया कि क्लब की गतिविधियों, भावी योजनाओं की जानकारी देने एवम सेवा कार्यों से अवगत कराने के लिए क्षेत्रीय अध्यक्ष को क्लब की यात्रा कराई जाती है। क्लब अध्यक्ष लायन राजेश बोहरा ने स्वागत उद्बोधन दिया। सचिव लायन मोहन गुप्ता ने सचिवीय प्रतिवेदन पढ़ा। कार्यक्रम संयोजक लायन आभा गांधी ने बताया कि इस अवसर पर क्षेत्रीय अध्यक्ष के हाथों विभिन्न सेवा कार्य भी संपन्न कराए गए। आभार लायन गजेंद्र पंचोली ने व्यक्त किया। इस अवसर पर लायन जागृति केवलरमानी का भी स्वागत किया गया।

सात दिनों में मांगे नहीं मानने पर धरना-प्रदर्शन

- **20 मामलों को लेकर आज मुख्यमंत्री के नाम उपखंड अधिकारी राजकेश मीणा को ज्ञापन सौंपा**

भीलवाड़ा। जहाजपुर अंजुमन कमेटी आम मुसलमानान ने 20 मामलों को लेकर आज मुख्यमंत्री के नाम उपखंड अधिकारी राजकेश मीणा को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया गया कि 14 सितंबर की घटना कि निष्पक्ष जांच करा दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने, पुलिस ने अब तक एकतरफा की है।

मुस्लिम समाज द्वारा दर्ज तीनों मुकदमों कोई कार्रवाई नही करने, एनएचआईए पर लगी केबिनों को बिना नोटिस दिए नगर पालिका द्वारा तोड़फोड़ करने, वक्फ सम्पत्ति पर केबिनों लूट-पाट कर तोड़फोड़ करने, वक्फ सम्पत्ति को अतिक्रमण मुक्त करने, कृषि भूमि पर अवैध कॉलोनियों पर कार्रवाई करने, पेटा कास्त में बनी कृष्ण नगर को ध्वस्त नहीं करने पर मामले को एनजीटी ले जाने, नृसिंह द्वारे के सामने सरकारी भूमि पर तारबंदी कर अवैध कब्जे को हटाने, लंका मुखी हनुमान मंदिर अवैध निर्माण कर नव निर्मित किया गया उसके कागज मांगे जाने, वन विभाग की भूमि पर बने मकानों को ध्वस्त कर वन विभाग भूमि पर बने धार्मिक स्थलों का सर्वे करने, नगर के ऐतिहासिक परकोटे अवैध रूप से तोड़ कर बनाई गई दुकानों के अतिक्रमण को हटाने, नगर में धार्मिक स्थलों व स्कूलों की तय परिधी से बिड़ी गुटखा तंबाकू के विक्रय पर कार्रवाई करने, जामा मस्जिद के यहां पर लगे बेरिकेडिंग को हटाने, शाहपुरा रोड़ बाइपास तालाब की पाल पर तारबंदी के कब्जे को अतिक्रमण मुक्त करने, वर्ष 2001 के बाद निर्मित धार्मिक स्थलों को हटाने, जिन दुकानों पर आगजनी तोड़फोड़ हुई उनको मुआवजा दिलाने सहित देवली उनियारा विधानसभा चुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा को रिहा करने की मांग की गई है। सात दिनों में मांगे नहीं माने जाने पर चमन चौराहे पर अंजुमन कमेटी के सानिध्य में धरना प्रदर्शन किया जाएगा। इस दौरान अंजुमन सदर नज़ीर सरवरी, वक्फ बोर्ड सदर नसीब पठान, पुर्व चेयरमैन शरीफ चीता, पूर्व वॉइस चेयरमैन लतीफ पठान, सद्दीक पठान, इमरान कुरेशी, एडवोकेट फारूख अली सहित सैकड़ों मुस्लिम लोग मौजूद थे।

कार्यालय आवासीय अभियन्ता राजस्थान आवासन मण्डल : अजमेर

क्रमांक : 1224 | **जाहिर आम सूचना** | दिनांक : 21.11.24

आवास संख्या 2/123, पंचशील, अजमेर क्षेत्रफल 120.00 व.मी. मूल आवंटी श्री राजेन्द्र प्रसाद सिंहल पुत्र श्री ग्यारसी लाल सिंहल को आवंटित कर दिनांक 28.10.1997 को मकान का भौतिक कब्जा सौंपा गया था। श्री राजेन्द्र प्रसाद सिंहल पुत्र श्री ग्यारसी लाल सिंहल द्वारा दिनांक 20.08.1999 को उप पंजीयक कार्यालय द्वारा आवास का पंजीयन करवा लिया गया है। पंजीयन पश्चात् श्री राजेन्द्र प्रसाद सिंहल पुत्र श्री ग्यारसी लाल सिंहल द्वारा आवास का बैचान श्रीमती लाली देवी जांगिड पत्नि श्री महेन्द्र जांगिड को दिनांक 02.11.2018 को कर दिया गया। मण्डल द्वारा श्रीमती लाली देवी जांगिड पत्नि श्री महेन्द्र जांगिड के पक्ष में दिनांक 14.02.2019 को नामान्तरण के आदेश जारी किये गये। श्रीमती लाली देवी जांगिड पत्नि श्री महेन्द्र जांगिड द्वारा आवास का बैचान श्रीमती भावना मंघनानी पत्नि श्री मनोहर मंघनानी को दिनांक 14.10.2021 को कर दिया गया। जो कि पंजीयन विभाग की पुस्तक संख्या 01 जिल्द संख्या 2095 में पृष्ठ संख्या 94 क्रम संख्या 202103001105044 पर पंजीबद्ध किया गया। तथा अतिरिक्त पुस्तक संख्या 01 जिल्द संख्या 5373 के पृष्ठ संख्या 512 से 524 पर दिनांक 14.10.2021 को चस्पा किया गया है। अब श्रीमती भावना मंघनानी पत्नि श्री मनोहर मंघनानी ने उक्त आवास से संबंधित विक्रय चैनल प्रस्तुत कर स्वयं के नाम दोहरा पंजीयन उपरांत नाम हस्तान्तरण करने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। श्रीमती भावना मंघनानी पत्नि श्री मनोहर मंघनानी का नाम मण्डल रिकार्ड में प्रतिस्थापन की कार्यवाही विचाराधीन है। अतः उक्त कार्यवाही से किसी भी व्यक्ति को कोई आपति हो तो इस जाहिर आम सूचना की विज्ञप्ति के प्रकाशन के 10 दिवस में अपनी उजरदारी / आपति मय सबूत एवं पहचान के दस्तावेज के साथ इस कार्यालय में प्रस्तुत कर सकते है। बाद मियाद गुजरने पश्चात् कोई आपति स्वीकार नहीं होगी, नाम प्रतिस्थापन की अग्रिम कार्यवाही सम्पादित कर दी जावेगी।

आवासीय अभियन्ता, राजस्थान आवासन मण्डल,
खण्ड - अजमेर

राजस्थान सरकार
नगर सुधार न्यास, आबू

क्रमांक यू.आई.टी. आबू/90-ए/2024/ | **सूचना** | दिनांक

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि न्यास क्षेत्राधिकार में आवेदक श्री सतीश सिंह पुत्र श्री मनरूप सिंह राव व अन्य द्वारा ग्राम गणका तहसील आबूरोड जिला सिरोही के खसरा संख्या 739/1, 739/2, 739/3 एवं 739/5 रकबा 17-10 बीघा भूमि का आवासीय प्रयोजनार्थ ले-आउट प्लान अनुमोदित करवाया गया। चूंकि उक्त आवासीय योजना (बालाजी नगर स्कीम) 2.0 हेक्टेयर से अधिक होने से मुख्यमंत्री जन आवास योजना 2015 के तहत EWS के 24 भूखण्ड एवं LIG के 26 भूखण्ड निर्धारित किए गए जिनका पात्र व्यक्तियों को आवंटन किया जाना है। EWS हेतु वार्षिक आय 3.00 लाख एवं LIG हेतु वार्षिक आय 3.00 लाख से 6.00 लाख तक निर्धारित है। उक्त भूखण्डों का आवंटन राज्य के सम्पूर्ण व्यक्ति कर सकते हैं आवंटन हेतु निर्धारित आवेदन पत्र विकासकर्ता (श्री सतीश सिंह पुत्र श्री मनरूप सिंह राव व अन्य बालाजी नगर स्कीम कार्यालय ग्राम गणका न्यू टाउनशिप के सामने) से प्राप्त कर विकासकर्ता को ही जमा कराया जाना होगा। आवेदन पत्र के साथ राजकीय नियमों के अनुसार सक्षम अधिकारी से प्राप्त आयकर प्रमाण पत्र की प्रति एवं आईडी प्रूफ यथा (ड्राईविंग लाईसेंस, आधार कार्ड, वाटर आईडी कार्ड इत्यादि) की प्रमाणित प्रति संलग्न करनी होगी। उक्त भूखण्डों का आवंटन न्यास द्वारा तय की गई आरक्षित दर अथवा DLC के आधार पर किया जावेगा। आवेदनकर्ता का 1.00 लाख या इससे अधिक जनसंख्या वाले किसी भी शहर में स्वयं या आश्रित के नाम से भूखण्ड नही होना चाहिये। उक्त सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज दिनांक 20/11/24 को जारी की गयी।

सालुंखे गौरव रविन्द्र (IAS)
सचिव, नगर सुधार न्यास, आबू

जिला कलेक्टर ने किया सिटी थाने का औचक निरीक्षण

आमजन में विश्वास-अपराधियों में भय के ध्येय वाक्य को साकार करने के लिए हमेशा रहे प्रतिबद्धः जिला कलेक्टर

- **रात्रि 10 बजे पश्चात डीजे पर पूर्णतया रोक लगाने व स्कूल, कॉलेज के बाहर शिकायत पेटी या सुझाव बॉक्स लगाने सहित दिए आवश्यक दिशा निर्देश**

ब्यावर, (निसं) जिला कलेक्टर डॉ महेंद्र खड़गावत ने शुक्रवार को सिटी थाने का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने स्वागत कक्ष का निरीक्षण किया और अपराध रजिस्टर की जांच कर जानकारी ली। उन्होंने कहा कि परिवादियों व पीड़ितों को थाना परिसर में सहज माहौल उपलब्ध हो व शिकायत को अच्छे से सुन उनका प्रक्रिया के तहत निष्पक्षता से जांच कर निस्तारण करने की कार्रवाई करें। जिला कलेक्टर ने निर्देश दिए की रात्रि 10 बजे के पश्चात शहर में डीजे बजने पर पूर्णतया पाबंदी लगाना सुनिश्चित करें।

जिला कलेक्टर ने निर्देश दिए की संबंधित थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले विद्यालयों व महाविद्यालयो में शिकायत बॉक्स व सुझाव पेटी रखी जाए जिससे कि विद्यार्थी स्वयं की शिकायत उस बॉक्स में डाल सके एवं नियमित अंतराल में शिकायत बॉक्स में प्राप्त शिकायतो का त्वरित रूप से निस्तारण करें।उन्होंने रिकॉर्ड रूम का निरीक्षण करते हुए पुलिस थानाधिकारी से रिकॉर्ड के बारे में जानकारी लेते हुए कहा कि रिकॉर्ड को अपडेट करें। उन्होंने निर्देश दिए कि रिकॉर्ड रूम में समस्त रिकॉर्ड का संधारण अच्छे से करे।उन्होंने निर्देश दिए कि आमजन में विश्वास- अपराधियों में भय पुलिस के इस ध्येय वाक्य को पूर्णतया साकार करने के लिए आगे भी हमेशा प्रतिबद्ध रहे।जिला कलेक्टर ने थाना परिसर की साफ सफाई व स्वच्छता देखकर स्टाफ की सराहना की।

किशनगढ़ के लिए 2 एम एल डी पानी बढ़ाया गया

अजमेर, (कासं)। केन्द्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री भागीरथ चौधरी ने किशनगढ के उपखण्ड अधिकारियों की बैठक 18 नवम्बर को ली एवं अधिकारियों को तुरन्त कार्यवाही कर आम जन को राहत प्रदान कराने के निर्देश दिए। जलदाय विभाग से सबसे ज्यादा पेयजल की अनियमित आपूर्ति की शिकायते प्राप्त हुई इस पर चौधरी ने अधिशाषी अभियंता जीनगर से कारण जाना तो बताया गया कि किशनगढ को 2 एम एल डी अतिरिक्त पानी की आवश्यकता है उक्त पानी उपलब्ध होने पर एक दिन छोड कर एक दिन अर्थात 48 घण्टे में पानी की निर्बाध सप्लाई की जा सकेगी।

चौधरी ने अधीक्षण अभियंता एवं जलदाय विभाग के अधिकारियों से वार्ता कर अविलम्ब किशनगढ हेतु 2 एम एल डी पानी बढाने के निर्देश दिए। केन्द्रीय मंत्री के निर्देश पर उक्त 2 एम एल डी अतिरिक्त पानी की स्वीकृति उच्चाधिकारियों द्वारा दे दी गई है और अब किशनगढ को 2 एमएलडी अतिरिक्त पानी मिलना शुरू हो गया है। अधिशाषी अधिकारी सम्पत जीनगर ने बताया कि उक्त 2 एम एल डी अतिरिक्त पानी प्रतिदिन मिलना प्रारंभ हो गया है इससे किशनगढ के सभी क्षेत्रों में 48 घण्टे में पानी की निर्बाध सप्लाई सुचारू रूप से की जा रही है।

ऋण वसूली प्राधीकरण

पहली मंजिल, सुधर्मा ।।, लाल कोठी शापिंग सेन्टर, टोंक रोड, जयपुर-302015
केस नं. ओए/485/2024
एक्ट के सैक्शन 19 के सब सैक्शन (4) ऋण वसूली प्राधीकरण (प्रक्रिया) नियम, 1993 के साथ पठित के तहत सम्मन

ईएक्सएच.नं. 12540

आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लि.
बनाम
शंकर लाल

प्रेषित,
1. शकंरलाल, प्रतापपुरा उपरेडा, भीलवाडा, राजस्थान-311408
2. सीमा देवी पत्नी शंकर लाल, निवासी प्रतापपुरा उपरेडा, भीलवाडा, राजस्थान-311408

सम्मन

जैसा कि, ओए/485/2024 माननीय पीठासीन अधिकारी/रजिस्ट्रार के समक्ष 26.04.2024 को सूचिबद्ध था,
जैसा कि, यह माननीय प्राधीकरण आपके खिलाफ रु. 2186894/- (आवेदन तथा दस्तावेजों की प्रतियाँ आदि संलग्न) के ऋण की वसूली के लिये, एक्ट के सैक्शन 19(4) के तहत दायर अकत आवेदन (ओ.ए.) पर सम्मन / नोटिस जारी करता है।
एक्ट के सैक्शन 19 के सब सैक्शन (4) के अनुसार, आप प्रतिवादी को निम्न अनुवाद निर्देशित किया जाता है-
(i) सम्मन प्राप्त होने के तीस दिन में कारण बताये कि प्रार्थना की गयी राहत क्यों नहीं दी जाये।
(ii) आवेदक द्वारा मूल आवेदन में क्रम संख्या 3ए के तहत वर्णित सम्पत्तियों तथा परिसम्पतियों के अतिरिक्त अन्य सम्पत्तियों अथवा परिसम्पत्तियों के विवरण प्रकट करें।
(ii) सम्पत्तियों की कुर्की के लिये किये गये आवेदन की सुनवायी तथा निस्तारण के लम्बित रहते सिक्योर्ड सम्पत्तियों अथवा मूल आवेदन में क्रम संख्या 3ए के तहत वर्णित अन्य परिसम्पत्तियों तथा सम्पत्तियों का लेन-देन अथवा बिक्री करने से आप प्रतिबन्धित हैं।
(iv) किसी भी परिसम्पत्ति जिन पर सिक्योर्ड हित बन चुका है, तथा/अथवा मूल आवेदन में क्रम संख्या 3ए के तहत वर्णित अथवा प्रकट अन्य परिसम्पत्तियों तथा सम्पत्तियों को आप व्यापार की सामान्य प्रक्रिया के अलावा, बिक्री, लीज अथवा अन्य प्रकार से प्राधीकरण की पूर्व अनुमति के बिना, ट्रांसफर नहीं करेंगे।
(V) व्यापार की सामान्य प्रक्रिया में सिक्योर्ड परिसम्पत्तियों अथवा अन्य परिसम्पत्तियों तथा सम्पत्तियों बिक्री के लिये तथा ऐसी बिक्री राशी को ऐसी परिसम्पत्तियों पर सिक्योर्ड हित रखने वाले बैंक अथवा वित्तीय संस्थान के खाते में जमा कराने के लिये आप उत्तरदायी होंगे।
आपको निर्देशित किया जाता है कि लिखित जवाब दायर करें व उसकी प्रति आवेदक को उपलब्ध करें तथा रजिस्ट्रार के समक्ष 22.11.2024 को प्रातः 10.30 बजे उपस्थित हो, अन्यथा आवेदन आपकी अनुपस्थिति में सुचना जायेगा व निर्णय किया जायेगा।
इस प्राधीकरण की सील तथा मेरे द्वारा इस तिथी 30.05.2024 को जारी किया गया।

रजिस्ट्रार
ऋण वसूली प्राधीकरण, जयपुर

लाछुड़ा में चल रही विष्णु महापुराण कथा के तीसरे दिन उमड़ा भक्तों का जन सैलाब

अलग-अलग झांकियों में दिखे शिव के अलग अलग स्वरूप

विष्णु महापुराण सुनने के लिए काफी संख्या में भक्त उमड़े।

आसीन्द, (निसं)। आसींद की निकटवर्ती ठाग्राम पंचायतलाछुड़ा गांव में गंगोत्री धाम में चल रही विष्णु महापुराण कथा के तीसरे दिन बताया कि' हर हर महादेव शम्भू, काशी विश्वनाथ गंगे' श्री शिव महापुराण के तीसरे दिन की कथा में पूज्य कृष्णप्रिया जी ने भगवान शिव के इस दिव्य संकीर्तन से कथा का शुभारम्भ किया।

शिव की महिमा का वर्णन करते हुए उन्होंने बताया कि भगवान शिव ओघड दानी हैं आशुतोष हैं बहुत थोड़े में ही अति प्रसन्न हो जाते हैं इसीलिए उन्हें देवों के देव महादेव कहा जाता है। उनकी पूजा करने से हमें उनकी कृपा व भक्ति प्राप्त होती है जिससे हमारे जीवन में सुख-समृद्धि आती है और सभी मनोकामना पूर्ण होती हैं। कथा की तीसरे दिवस पर राजस्थान के भीलवाड़ा में हजारों श्रद्धालुओं का आगमन हुआ साथी आसपास के गांव से भी पूज्या देवी जी की वाणी को सुनने लोग आये.. कथा का आयोजन शनि मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के उपलक्ष में दिनांक 20 से 26 नवंबर तक गंगोत्री धाम, लाछुड़ा किया जा रहा है।

वही समाज सेवी ताराचंद मेवाड़ा ने बताया कि 21 जुलाई को पहले दिन 55 जोड़ो ने आहुति दी वहीं दूसरे दिन 22 जुलाई को 51 जोड़ो ने आहुति दी।

यज्ञ का कार्यक्रम सुबह 8 बजे 12 बजे तक रहता है वही कथा का समय दिन में 1 बजे से 4 बजे तक रहता है। शाम रोजाना 8 बजे से 10 बजे तक अलग अलग तरीके की झांकियों की प्रस्तुति दी जाती है जिसने दिल्ली से आय हुए कलाकारों द्वारा सुंदर प्रस्तुति दी जाती है। पूज्य कृष्णप्रिया जी ने आगे बताया कि भगवान शिव हम सभी के भीतर विराजमान हैं अगर वो शिव वह चेतना हमारे अंदर से निकल जाए तो हम शव हो जायेंगे। इसलिए जीवन के प्रत्येक को शिवमय बनाएं और उनकी भक्ति में लगाएं। भगवान शिव की भक्ति दूसरों के लिए जीवन जीना सिखाती है। परमार्थ सिखाती है। शिव महापुराण कथा हमें हमारे जीवन के उद्देश्य को समझाती है, हमें किस प्रकार का जीवन जीना चाहिए, अपने जीवन में धर्म कर्म भक्ति को एकसाथ लेकर कैसे चला जाए ये विभिन्न बातें शिवकथा हमें सीखलाती है। कभी भी कर्म और धर्म को छोड़कर भक्ति नहीं की जा सकती बल्कि अपने कर्मों को इतना पवित्र और पावन रखें की वही भक्त बन जाए।

राजस्थान की भूमि संस्कृति और संस्कारो की भूमि है। यहाँ की संस्कृति, खान पान देश विदेश को अपनी ओर आकर्षित करता है साथ ही यह भूमि भक्ति और त्याग और बलिदान कि भी भूमि है यहां मीराबाई, जयमल, धन्नाजाट, करमा बाई, भामाशाह,महाराणा प्रताप जैसे अनेक दिव्य भक्त हुए जो कि आज भी अजर अमर हैं। इसलिए इस संस्कृति, भक्ति एवं परंपराओं को सदैव संजोकर रखें।

ओ की महिमा का वर्णन करते हुए परमपूज्या कृष्ण प्रिया जी ने बताया कि भगवान शिव के पांच मुखो से ॐ की उत्पत्ति हुई। उससे पांच सगुण अक्षरों की प्राप्ति हुई जिसे नमः शिवाय कहते हैं। केवल ध्यान और शुद्ध अवस्था में ॐ का जाप करना चाहिए और हरक्षण हर अवस्था में नमः शिवाय का जाप अत्यंत लाभकारी होता है, जो व्यक्ति 'सवा लाख ' नमः शिवाय का जप कर लेता है वह स्वयं को जान लेता है। कोई पांच लाख जप कर ले तो वह असमय मृत्यु पर विजय प्राप्त कर लेता है और जो 5 करोड़ शिव के नाम जाप कर ले वह साक्षात शिव के तुल्य हो जाता है। वास्तव में गिनती में प्रभु नहीं है लेकिन इतने गिनने पर कम से कम एक बार तो भाव से प्रभु का स्मरण होगा बस उसी क्षण प्रभु की प्राप्ति हो जाएगी।

इन्वेस्टर मीट में किए एमओयू की समीक्षा बैठक

भीलवाड़ा। जिला कलक्टर नमित मेहता की अध्यक्षता में शुक्रवार को जिला कलेक्ट्रेट सभागार में राइजिंग राजस्थान के जिला स्तरीय इन्वेस्टर मीट में किए गए एमओयू की समीक्षा की गई। बैठक में सभी एमओयू धारकों की उद्योग स्थापित करने में आने वाली समस्याओं के बारे में विस्तार से चर्चा की गई। इन समस्याओं में भूमि कन्वर्जन, महंगी बिजली दरें, भूमि की आवश्यकता आदि प्रमुख थीं।

जिला कलक्टर ने इन समस्याओं का समाधान करने के लिए आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) ओमप्रकाश मेहरा, ओएसडी नगर विकास न्यास सीएल मीणा को भूमि संबंधित समस्याओं का निस्तारण करने के निर्देश दिए।

उन्होंने जिला उद्योग एवं वाणिज्य केंद्र महाप्रबंधक केके मीना को राज्य सरकार द्वारा उद्योगों को रीप्स योजना के तहत छूट के संबंध में जानकारी देने और रीको लि के अतिरिक्त महाप्रबंधक को नए औद्योगिक क्षेत्रों के बारे में जानकारी देने हेतु निर्देशित किया गया। जिला कलक्टर ने जिला प्रशासन द्वारा सभी एमओयू धारकों को हर संभव सहयोग का आश्वासन दिया। बैठक में अधीक्षण अभियंता एवीवीएनएल वी. के. संचेती, रीको अतिरिक्त महाप्रबंधक पी.आर. मीना आदि उपस्थित थे।

ऋण वसूली प्राधीकरण

पहली मंजिल, सुधर्मा ।।, लाल कोठी शापिंग सेन्टर, टोंक रोड, जयपुर-302015
केस नं. ओए/768/2024
एक्ट के सैक्शन 19 के सब सैक्शन (4) ऋण वसूली प्राधीकरण (प्रक्रिया) नियम, 1993 के साथ पठित के तहत सम्मन

ईएक्सएच.नं. 13261

आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लि.
बनाम
सुरेन्द्र सिंह रावत

प्रेषित,
1. सुरेन्द्र सिंह रावत, डी/डब्लू/एस/ओ. जय सिंह रावत, निवासी मानपुरा रोड, कनकहेडी, श्रीनगर, अजमेर, राजस्थान-305025
यहाँ भी
द्वारा मै. रावत बिल्डिंग मैटीरियल एण्ड सप्लायर्स कार्यालय दुकान नं. 1 और 3, फाय सागर रोड, रावतनगर, अजमेर, राजस्थान-305025
2. लीला रावत पत्नी सुरेन्द्र सिंह रावत, निवासी मानपुरा रोड, कनकहेडी, श्रीनगर, अजमेर राजस्थान-305025

सम्मन

जैसा कि, ओए/768/2024 माननीय पीठासीन अधिकारी/रजिस्ट्रार के समक्ष 05.08.2024 को सूचिबद्ध था,
जैसा कि, यह माननीय प्राधीकरण आपके खिलाफ रु. 3701748.14/- (आवेदन तथा दस्तावेजों की प्रतियाँ आदि संलग्न) के ऋण की वसूली के लिये, एक्ट के सैक्शन 19(4) के तहत दायर अकत आवेदन (ओ.ए.) पर सम्मन / नोटिस जारी करता है।
एक्ट के सैक्शन 19 के सब सैक्शन (4) के अनुसार, आप प्रतिवादी को निम्न अनुवाद निर्देशित किया जाता है-
(i) सम्मन प्राप्त होने के तीस दिन में कारण बताये कि प्रार्थना की गयी राहत क्यों नहीं दी जाये।
(ii) आवेदक द्वारा मूल आवेदन में क्रम संख्या 3ए के तहत वर्णित सम्पत्तियों तथा परिसम्पतियों के अतिरिक्त अन्य सम्पत्तियों अथवा परिसम्पत्तियों के विवरण प्रकट करें।
(ii) सम्पत्तियों की कुर्की के लिये किये गये आवेदन की सुनवायी तथा निस्तारण के लम्बित रहते सिक्योर्ड सम्पत्तियों अथवा मूल आवेदन में क्रम संख्या 3ए के तहत वर्णित अन्य परिसम्पत्तियों तथा सम्पत्तियों का लेन-देन अथवा बिक्री करने से आप प्रतिबन्धित हैं।
(iv) किसी भी परिसम्पत्ति जिन पर सिक्योर्ड हित बन चुका है, तथा/अथवा मूल आवेदन में क्रम संख्या 3ए के तहत वर्णित अथवा प्रकट अन्य परिसम्पत्तियों तथा सम्पत्तियों को आप व्यापार की सामान्य प्रक्रिया के अलावा, बिक्री, लीज अथवा अन्य प्रकार से प्राधीकरण की पूर्व अनुमति के बिना, ट्रांसफर नहीं करेंगे।
(V) व्यापार की सामान्य प्रक्रिया में सिक्योर्ड परिसम्पत्तियों अथवा अन्य परिसम्पत्तियों तथा सम्पत्तियों बिक्री के लिये तथा ऐसी बिक्री राशी को ऐसी परिसम्पत्तियों पर सिक्योर्ड हित रखने वाले बैंक अथवा वित्तीय संस्थान के खाते में जमा कराने के लिये आप उत्तरदायी होंगे।
आपको निर्देशित किया जाता है कि लिखित जवाब दायर करें व उसकी प्रति आवेदक को उपलब्ध करें तथा रजिस्ट्रार के समक्ष 24.01.2025 को प्रातः 10.30 बजे उपस्थित हो, अन्यथा आवेदन आपकी अनुपस्थिति में सुचना जायेगा व निर्णय किया जायेगा।
इस प्राधीकरण की सील तथा मेरे द्वारा इस तिथी 29.08.2024 को जारी किया गया।

रजिस्ट्रार
ऋण वसूली प्राधीकरण, जयपुर